अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 37/2012

शिवजी सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 335 , दिनांक 03.03.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.2011 को शिवजी सिंह, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–52/2007, पंचायत–बेदौली, प्रखंड–बनियापुर, की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल (श्री विनय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गरखा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी:– (1) जॉंच के समय 10:40बजे पूर्वाहन में आपकी दूकान बंद पायी गई। बिना किसी सूचना के आप अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण आपके दूकान से संबंधित पंजियों की जांच नही की जा सकी। (2) कतिपय बी0पी0एल0 कूपनधारी उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज करायी गई कि उन्हें दो माह में एक बार खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। विक्रेता द्वारा पूरे वर्ष का लाल कूपन रख लिया गया है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 34 ,दिनांक 04.01.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी, के द्वारा उसकी	

अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को विक्रेता की तबियत काफी खराब हो गयी, जिस वजह से डॉक्टर के यहॉ जाने के कारण दूकान बंद थी। चिकित्सक की पर्ची विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया। विक्रेता के विरूद्ध कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा निर्धारित मात्रा से सामग्री की मॉंग की जाती है। जिसे देने में असमर्थता व्यक्त करने की वजह से उनके द्वारा विक्रेता के विरूद्ध गलत शिकायत की जाती है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 335, दिनांक 03.03.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध दिए गए कुल 3 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब में सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपने आदेश में विक्रेता के जवाब में मौजूद कमियों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक

बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 301 /न्या0, दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।